"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 856] नवा रायपुर, मंगलवार, दिनांक 11 नवम्बर 2025 —— कार्तिक 20, शक 1947

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 11 नवम्बर 2025

सूचना

क्रमांक 11–3/2023/सात–1.—छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 258 की उपधारा (2) के खण्ड (तीन) एवं (चार) के साथ पठित धारा 59 एवं 60 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विषय पर पूर्व में बनाए गए समस्त नियमों को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार निम्नानुसार नियम बनाना प्रस्तावित करती है। उक्त संहिता की धारा 258 की उप-धारा(3)द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 15 दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा।

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, कक्ष क्रमांक एम-1-23, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा।

प्रारूप नियम

भाग-क

सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ,-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम, 2025 है।

(2) ये नियम छत्तीसगढ़ के राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से लागू होंगे|

2. परिभाषाएं (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो.-

(क) "संहिता' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (कमांक 20 सन् 1959);

(ख) "प्रारूप" से अभिप्रेत है. इन नियमों से संलग्न प्ररूपः

(ग) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूचियां:

(घ) "धारा" से अभिप्रेत है, संहिता की धारा।

(2) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के जिनका इन नियमों में प्रयोग हुआ है किन्तु जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, के वही अर्थ होंगे जो संहिता में समनुदेशित किए गए हैं।

भाग-ख

निर्धारण और पुनर्निर्धारण

3. (1) भू-राजस्व का निर्धारण अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट दरों पर किया जाएगा।

(2) उन भूमियों पर, जिन के संबंध में इन नियमों के लागू होने के पूर्व निर्धारण हो चुका है, का आगामी राजस्व वर्ष के प्रारंभ से, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट दरों पर भू-राजस्व स्वतः निर्धारण हो जाएगा।

(3) उन भूमियों के संबंध में जिनका निर्धारण नियम 5 के अनुसार पहली बार निर्धारण किया गया है, निर्धारणकी दिनांक से प्रभावशील होगा।

(4) उन भूमियों के संबंध में जिनका इन नियमों के भाग-ग के अनुसार व्यपवर्तन किए जाने पर पुनर्निर्धारण किया जाता है, पुनर्निर्धारण व्यपवर्तन की दिनांक से प्रभावशील होगा।

(5) राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष आगामी राजस्व वर्ष के लिए अनुज्ञेय, भू-राजस्व निर्धारण की दरों को अनुसूची-एक में अधिसूचित करेगी:

परंतु यदि इस उपनियम के अधीन अधिसूचना जारी नहीं की जाती तो आगामी राजस्व वर्ष के लिए तत्समय प्रभावी दरें लागू रहेंगी।

(6) जब कभी अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट दरें परिवर्तित की जाती है तो भूमियों के भू-राजस्व की जो ऐसे परिवर्तन के पूर्व निर्धारित किए जा चुके हैं. ऐसी परिवर्तित दरों पर स्वतः आगामी राजस्व वर्ष से पुनर्निर्धारित हो जाएंगे।

स्पष्टीकरण:- (1) इस नियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी. समस्त ऐसी भूमियों के संबंध में कोई भू-राजस्व देय नहीं होगा जो संहिता की धारा 245 केछत्तीसगढ़ भू-राजस्वअधीन भू-राजस्व से मुक्त हैं या संहिता की धारा 58 या 58 क अधीन राज्य सरकार की अधिसूचना के द्वारा मुक्त है।

(2) संहिता की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ञ) में यथा परिभाषित खाते के संबंध में कोई सुधार धारा 59 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन कृषिक प्रयोजन के लिए निर्धारित किया जाएगा।

4. इन नियमों के लागू होने पर तथा जब कभी नियम 3 के उप-नियम (2) के अधीन भू-राजस्व के निर्धारण की दरें परिवर्तित की जाती हैं के पश्चात्,-

(क) आयुक्त, भू-अभिलेख, राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन रहते हुए, राज्य अधिकार अभिलेख से भिन्न भू-अभिलेखों के अद्यतन किए जाने की संक्रियाओं का नियंत्रण करेगा;

(ख) कलेक्टर, आयुक्त भू-अभिलेख के अध्यधीन रहते हुए, जिले में अधिकास अभिलेख से भिन्न भू-अभिलेखों के अद्यतन किए जाने की संक्रियाओं का नियंत्रण करेगा; और

(ग) तहसीलदार, कलेक्टर के अध्यधीन रहते हुए, तहसील में अधिकार अभिलेख से भिन्न भू-अभिलेखों के अद्यतन किए जाने की संक्रियाओं का नियंत्रण करेगा।

5. भूमि जिन पर निर्धारण नहीं हुआ है और जो अधिभोग में है या किसी प्रयोजन के लिए दी जाना प्रस्तावित हैं. नियम 3 के अनुसार धारा 60 के अधीन, यथास्थिति जिला सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा भू सर्वेक्षण के दौरान या कलेक्टर द्वारा अन्य समय पर निर्धारण किया जाएगा।

6. छत्तीसगढ़ राज्य के किसी नगर या ग्राम में संहिता की धारा 59 की उप-धारा (5) के परन्तुक में विनिर्दिष्ट भूमि से भिन्न कृषि भूमि को गैर कृषि प्रयोजनों के लिए व्यपवर्तित करने पर, वार्षिक भू-भाटक/भू-राजस्व निर्धारण की दर, अनुसूची-2 के अनुसार अधिरोपित होगा।

भाग-ग

भूमि उपयोग का व्यपवर्तन

7. नियम 8 से 19 में अंतर्विष्ट कोई भी बात, ऐसी भूमि पर जो संहिता की धारा 245 के अधीन प्रीमियम तथा भू-राजस्व के भुगतान से मुक्त है या छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 58 या 58-क के अधीन राज्य सरकार द्वारा अनुसमर्थित है, सिवाये जब ऐसी भूमि किसी अन्य प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित की जाती है, लागू नहीं होगी।

8. (1) जब कभी कोई भूमि धारा 59 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी एकप्रयोजन के लिए निर्धारित है, किसी अन्य प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित की जातीहै, तो अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट दरों पर प्रीमियम देय होगा।

(2) राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष आगामी राजस्व वर्ष के लिए लागू होने वाली प्रीमियम की दरों को अनुसूची-एक में अधिसूचित करेगीः

परंतु यदि इस उपनियम के अधीन कोई अधिसूचना जारी नहीं की जाती हैं तो आगामी राजस्व वर्ष के लिए तत्समय प्रभावी दरें लागू रहेंगी।

(3) व्यपवर्तित भूमि पर नियम 3 के अनुसार भू-राजस्व का पुनर्निर्धारण किया जाएगा।

9. (1) जब किसी सर्वेक्षण संख्यांक का कोई भाग कृषिक प्रयोजन से भिन्न अन्य प्रयोजन में व्यपवर्तित किया जाता है, और यदि ऐसे सर्वे संख्यांक का शेष भाग सौ वर्ग मीटर या उससे कम रह जाता है, तब सम्पूर्ण सर्वे संख्यांक को व्यपवर्तित किया गया समझा जाएगा और सर्वे संख्यांक के सम्पूर्ण क्षेत्र पर प्रीमियम तथा भू-राजस्व का निर्धारण देय होगा।

(2) जब कोई भूमि, कृषिक से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन में व्यपवर्तित की जाती है तब आनुषंगिक प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जा रही ऐसी व्यपवर्तित भूमि से लगी हुई समस्त भूमियां, ऐसे अन्य प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित समझी जाएंगी और तद्नुसार प्रीमियम तथा भू-राजस्व के लिए दायी होंगी।

स्पष्टीकरण इस नियम के प्रयोजन के लिए, व्यपवर्तित के संबंध में 'आनुषंगिक प्रयोजन' से अभिप्रेत है भूमि का सड़कों, पार्को, खेल मैदानों, पार्किंग, अन्य सामुदायिक प्रयोजनों आदि में उपयोग किया जाना।

10. (1) भूमिस्वामी, जो अपने खाते या उसके भाग को धारा 59 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी एक प्रयोजन से किसी अन्य प्रयोजन हेतु व्यपवर्तित करना चाहता है, प्रथमतः वह स्वयं को संतुष्ट करेगा कि भूमि उपयोग जिसके लिए वह अपने खाते या उसके भाग को व्यपवर्तित करना चाहता है, तत्समय प्रवृत्त संगत विधियों के प्रावधानों के अनुसरण में है।

(2) इन नियमों में की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि भूमि के उपयोग में परिवर्तन की अनुज्ञा दी गई है,-

(क) यदि ऐसी भूमि का उपयोग तत्समय प्रभावशील विधि के उपबंधों के प्रतिकूल है; या

(ख) संहिता की धारा 165 की उपधारा(7-ख)के उल्लंघन में है।

11. (1) यदि कोई भूमिस्वामी अपने खाते या उसके भाग को व्यपवर्तित करता है, तो वह-

(क) नियम 8 के अनुसार देय प्रीमियम, यदि कोई हो, का गणना कर स्वयं निर्धारण करेगा; और

(ख)नियम 3 के अनुसार भू-राजस्व की गणना कर स्वयं निर्धारण करेगा।

(2) भूमिस्वामी राज्य सरकार द्वारा निर्देशित रीति में एक वर्ष के लिए प्रीमियम और पुनर्निर्धारित भू-राजस्व की राशि जमा करेगा।

12. कोई भूमिस्वामी जो अपने खाते या उसके भाग को व्यपवर्तित करता है तो वह ऐसे व्यपवर्तन की सूचना, भुगतान किए गए प्रीमियम और पुनर्निर्धारित भू-राजस्व की रसीद की प्रति को संलग्न करते हुए उपखण्ड अधिकारी को प्ररूप-एक में देगा। भूमिस्वामी राज्य सरकार द्वारा निर्देशित रीति में सूचना की अभिस्वीकृति देगा।

13. भूमिस्वामी आयुक्त भू-अभिलेख द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार व्यपवर्तन स्कैच (अक्स) तैयार कराएगा और व्यपवर्तन की सूचना के साथ उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

14. (1) उपखण्ड अधिकारी नियम 12 के अधीन व्यपवर्तन की सूचना के प्राप्त होने पर, 15 कार्यदिवस के भीतर भूमिस्वामी द्वारा की गई गणना के सही होने की जांच करेगा और भूमिस्वामी को या तो ऐसी गणना की पुष्टि की संसूचना देगा या राज्य सरकार द्वारा निर्देशित रीति अनुसार उसे देय प्रीमियम और भू-राजस्व की सही राशि की सूचना देगा।

(2) अधिकार अभिलेख से भिन्न, भू-अभिलेखों को उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रीमियम तथा पुनर्निर्धारित भू-राजस्व की गणना की उपनियम (1) के अधीन पुष्टि किए जाने या नियम 12 के अधीन भूमिस्वामी द्वारा दी गई सूचना की तारीख से 15 कार्य दिवस के पश्चात्, जो भी पूर्वतर हो, अद्यतन किया जाएगाः

परंतु यदि उपखण्ड अधिकारी भूमिस्वामी को अंतर की राशि, यदि कोई हो, जमा करने की सूचना देता है तो ऐसा भू-अभिलेख ऐसी राशि जमा करने के पश्चात् ही अद्यतन किया जाएगा।

15. (1) यदि नियम 11 के अधीन जमा की गई राशि, उपखण्ड अधिकारी द्वारा संगणित की गई राशि से कम है, तब भूमिस्वामी द्वारा अंतर की राशि नियम 14 के अधीन संसूचना की प्राप्ति से साठ दिवस के भीतर जमा की जाएगी।

(2) उन मामलों में जहां नियम 11 के अधीन जमा की गई राशि, उपखण्ड अधिकारी द्वारा संगणित की गई राशि से अधिक है, वहां राज्य सरकार द्वारा निर्देशित रीति में साठ दिवस के भीतर भूमिस्वामी को अंतर की राशि लौटाई जाएगी।

16. यदि कोई भूमिस्वामी नियम 14 के अधीन संसूचना की प्राप्ति की तारीख से साठ दिवस की अवधि के भीतर राशि जमा नहीं करता है, तो बकाया पर प्रथम बारह माह के लिए बारह प्रतिशत वार्षिक दर से और तत्पश्चात् पंद्रह प्रतिशत वार्षिक दर से भुगतान दिनांक तक साधारण ब्याज देय होगा।

17. (1) पटवारी या नगर सर्वेक्षक वर्ष में एक बार, अपनी अधिकारिता के भीतर समस्त सर्वेक्षण संख्यांक तथा भू-खण्ड संख्यांकों का निरीक्षण करेगा और उस भूमि के व्यपवर्तन के प्रत्येक प्रकरण की रिपोर्ट जिसके व्यपवर्तन की सूचना भूमिस्वामी ने नहीं दी है या नियम 12 के अधीन असत्य सूचना दी है. प्ररूप-दो में उपखण्ड अधिकारी को देगा।

(2) उपखण्ड अधिकारी स्वप्रेरणा से या प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, धारा 59 की उपधारा (2) के अधीन कार्यवाही करेगा और ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह उचित समझे, प्रीमियम और पुनर्निर्धारित भू-राजस्व, देय ब्याज तथा देय शास्ति का विनिश्चय करेगा और देय राशि को जमा करने के लिये भूमिस्वामी को मांग पत्र भेजेगा तथा व्यपवर्तन स्क्रैच (अक्स) तैयार कराएगा।

(3) अधिकार अभिलेखों से भिन्न, भू-अभिलेख, उपनियम (2) के अधीन देय राशि के जमा करने के पश्चात् ही अद्यतन किए जाएंगे।

18. (1) इन नियमों के अधीन उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध कोई अपील नहीं होगी, जब तक कि भूमिस्वामी द्वारा ऐसे आदेश के अधीन देय राशि के पचास प्रतिशत राशि के बराबर की राशि जमा नहीं कर दी जाती है।

(2) अपीलीय अधिकारी न्यायहित में उपनियम (1) की अपेक्षाओं को माफ कर सकेगा।

(3) यदि अपील में उपनियम (1) के अधीन जमा की गई राशि से कम राशि देय मानी जाती है तो अंतर की राशि लौटाई जाएगी।

19. जब कोई भूमि, तत्समय लागू किसी अधिनियम या नियमों के उपबंधों के अनुसरण में व्यपवर्तित और विकसित की जाती है और ऐसा क्षेत्र जो सामुदायिक उपयोग, जैसे सड़कें, पार्क आदि के लिए आरक्षित है, स्थानीय निकाय को अंतरित कर दी जाती हैं तो ऐसे क्षेत्र के लिए निर्धारित भू-राजस्व को राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा संहिता की धारा 58-क के अधीन मुक्त कर सकेगी।

20. (1) यदि भूमि एक से अधिक प्रयोजनों के लिए व्यपवर्तित की गई है और ऐसे प्रयोजनों का क्षेत्र व्यपवर्तन स्कैच में सीमांकित है तो प्रीमियम और निर्धारण की दरें ऐसे प्रयोजनों के अनुसार ऐसे संबंधित क्षेत्र के लिए लागू होंगी।

(2) यदि भूमि एक से अधिक प्रयोजनों के लिए व्यपवर्तित की गई है और ऐसे प्रयोजनों का क्षेत्र व्यपवर्तन स्कैच में सीमांकित नहीं किया जा सकता है तो प्रीमियम और निर्धारण की ऐसे प्रयोजनों में से लागू उच्चतम दरें सम्पूर्ण व्यपवर्तित क्षेत्र पर लागू होंगी।

अनुसूची-1

(नियम 8 देखिए)

भूमि के व्यपवर्तन पर देय प्रीमियम के लिए दरें

वर्ग	आवासीय प्रयोजन	आवासीय इकाई / कालोनी परियोजना	वाणिज्यिक या औद्योगिक प्रयोजन	सार्वजनिक / संस्थागत प्रयोजन	विशेष आर्थिक क्षेत्र	चिकित्सा सुविधाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
वर्ग–एक						
1.नगर निगम एवं नगरपालिका क्षेत्र	रू. 15.00 प्रति वर्गमीटर	रू. 20.00 प्रति वर्गमीटर	रू. 25.00 प्रति वर्गमीटर	रू. 20.00 प्रति वर्गमीटर	रू. 20.00 प्रति वर्गमीटर	रू. 15.00 प्रति वर्गमीटर

2. नगर निगम तथा नगरपालिका क्षेत्र की बाह्य सीमा के 05 कि.मी. के अंदर	रू. 10.00 प्रति वर्गमीटर	रू. 15.00 प्रति वर्गमीटर	रू. 20.00 प्रति वर्गमीटर	रू. 15.00 प्रति वर्गमीटर	रू. 15.00 प्रति वर्गमीटर	रू. 10.00 प्रति वर्गमीटर
वर्ग–2						
1.नगर पंचायत का संपूर्ण क्षेत्र	रू. 05.00 प्रति वर्गमीटर	रू. 7.50 प्रति वर्गमीटर	रू. 10.00 प्रति वर्गमीटर	रू. 7.50 प्रति वर्गमीटर	रू. 10.00 प्रति वर्गमीटर	रू. 7.50 प्रति वर्गमीटर
2. नगर पंचायत की बाह्य सीमाओं से 02 कि.मी. का क्षेत्र	रू. 4.00 प्रति वर्गमीटर	रू. 15.00 प्रति वर्गमीटर	रू. 7.50 प्रति वर्गमीटर	रू. 5.00 प्रति वर्गमीटर	रू. 7.50 प्रति वर्गमीटर	रू. 5.00 प्रति वर्गमीटर
वर्ग–3						
ग्रामीण क्षेत्र	रू. 3.00 प्रति वर्गमीटर	रू. 4.00 प्रति वर्गमीटर	रू. 5.00 प्रति वर्गमीटर	रू. 4.00 प्रति वर्गमीटर	रू. 5.00 प्रति वर्गमीटर	रू. 4.00 प्रति वर्गमीटर

अनुसूची-2

(नियम 6 देखिए)

भूमि के व्यपवर्तन के लिये देय वार्षिक भू.भाटक निर्धारण के लिए दरें

स. क्र.	प्रयोजन	वार्षिक भू भाटक की निर्धारण दर
(1)	(2)	(3)
(1)	आवासीय इकाई/आवासीय कॉलोनी/ आवासीय परियोजना/सार्वजनिक प्रयोजन/ संस्थागत प्रयोजन/पूर्त प्रयोजन।	प्रचलित गाईड लाईन मूल्य का 0.30 प्रतिशत।
(2)	व्यवसायिक प्रयोजन/चिकित्सा सुविधा केन्द्र।	प्रचलित गाईड लाईन मूल्य का 0.60 प्रतिशत।
(3)	औघोगिक/वाणिज्यक/खनन प्रयोजन।	प्रचलित गाईड लाईन मूल्य का 0.60 प्रतिशत।

प्रारूप एक -
(नियम 12 देखिए)
भूमिस्वामी द्वारा भूमि उपयोग के व्यपवर्तन तथा स्वनिर्धारण की सूचना

संदर्भ क्रमांक ....

प्रति,
उपखण्ड अधिकारी
....
तहसील...........................जिला...................................

विषयः व्यपवर्तन तथा प्रीमियम एवं -भूराजस्व के स्वनिर्धारण की सूचना।-

भागएक-

अनुक्रमांक	विवरण	ब्यौरे
(1)	(2)	(3)
1	आवेदक का नाम	
2	पिताअभिभाव/पति/क का नाम	
3	(एक) पता... (दो) दूरभाष क्रमांक (यदि कोई है (क) लैंड लाईन (कार्या.) (ख) लैंड लाईन (आवा.) (ग) मोबाईल नं. (तीन) ई-मेल आई डी (यदि कोई है) (चार) पहचान के प्रमाण के लिये दस्तावेज (पांच) पता के प्रमाण के लिये दस्तावेज	(क) (ख) (ग) (घ) (ड.)
4	यदि आवेदक भूमिस्वामी नहीं है- (एक) भूमिस्वामी का आवेदक के संबंध (दो) प्राधिकार का विवरण (क) प्राधिकार पत्र/भूमिस्वामी का पॉवर ऑफ अटॉर्नी (ख) विधिक व्यक्ति के मामले में सक्षम स्तर से प्राधिकार/पॉवर ऑफ अटॉर्नी के साथ प्राधिकार/प्राधिकार पत्र	(क).. (ख)..
5	शामिल खाते में धारित भूमि के मामले में, यदि सभी भूमिस्वामी संयुक्त रूप से सूचना प्रस्तुत नहीं करते है:- (एक) उपखण्ड अधिकारी को आवेदक भूमिस्वामी को प्राधिकृत करने के संबंध में समस्त भूमिस्वामियों द्वारा हस्ताक्षरित प्राधिकृत पत्र (दो) यदि केवल कुछ भागीदार भूमिस्वामी द्वारा व्यपवर्तन किया जाता है तो व्यपवर्तित भूमि के बारे में भागीदार भूमिस्वामियों के हिस्सों के संबंध में घोषणा।	(क).. (ख)..
6	भूमिस्वामी का नाम	
7	(एक) पिता/पति/अभिभावक का नाम (यदि भूमिस्वामी एकल व्यक्ति है) (दो) विधिक व्यक्ति के मामले में पंजीयन क्रमांक/पेन नं.	(क).. (ख)..

8	(एक) पता... (दो) दूरभाष क्रमांक (यदि कोई है) (क) लैंड लाईन (कार्या.) (ख) लैंड लाईन (आवा.) (ग) मोबाईल नं. (तीन) ई-मेल आई डी (यदि कोई है) (चार) पहचान के प्रमाण के लिये दस्तावेज (पांच) पता के प्रमाण के लिये दस्तावेज	(क) (ख) (ग) (घ) (ड.)
9	भूमि के विवरण (एक) जिला (दो) तहसील (तीन) ग्राम/नगरीय निकाय (चार) पटवारी हल्का क्रं./सेक्टर क्रं.	(क) (ख) (ग) (घ)

सर्वेक्षण संख्यांक	वर्तमान स्थिति		व्यपवर्तित की स्थिति		व्यपवर्तित भूमि के जमा की गई राशि (रूपये में)				
	व्यपवर्तन पूर्व का प्रयोजन	क्षेत्रफल वर्ग) (मीटर में	व्यपवर्तित प्रयोजन	क्षेत्रफल वर्ग) (मीटर में	प्रीमियम प्रति वर्ग मीटर रूपये) (में	कुल प्रीमियम (रूपये) (5x6)	भू- राजस्व प्रति वर्ग मीटर यार्ड/	कुल भू- राजस्व (रूपय में((5x8)	कुल योग (7x10)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
कुल योग									

10	जमा की जाने वाली कुल राशि (शब्दों में)	
11	किए गऐ भुगतान का विवरण (एक) चालान पहचान क्रमांक (दो) पाने वाले का नाम (तीन) भुगतान का दिनांक (चार) भुगतान का शीर्ष जिसमें जमा किया गया (पांच) कुल जमा राशि (अंको तथा शब्दों में)	 (क) (ख) (ग) (घ) (ड.)
12	व्यपवर्तित भूमि का नियत स्केल पर व्यपवर्तन स्कैच, अलग-पृथक दर्शाते हुए-अलग प्रयोजनों के मामले में पृथक	प्रस्तुतप्रस्तु/त नहीं

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान ....नाम

दिनांक..........................

घोषणा

1. मैं आत्मज एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई सूचना में दिये गये विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सही व सत्य है।

2. में संतुष्ट हूँ कि मैंने जिस भूमि उपयोग के लिय भूमि का व्यपवर्तन किया है वह छत्तीसगढ भू राजस्व संहिता(भू राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम,2025 के प्रावधानानुसार है।

3. मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि भूनि व्यपवर्तन की सूचना भूमि उपयोग को नियंत्रित करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या छत्तीसगढ भू राजस्व संहिताकी धारा 165 की उपधारा (7–ख) के उल्लंघन में नहीं है।

4. मैंने उक्त नियमो की अनुसूची एक के अनुसार प्रीमियम और भू राजस्व संगणित और जमा किया है तथा जानता हूँ कि छत्तीसगढ भू-राजस्व संहितामें बताई गई परिस्थितियों के अतिरिक्त यह राशि वापिस नहीं होगी।

5. मैं यह भी स्वीकार करता हूँ छत्तीसगढ भू-राजस्व संहिता के अनुसार उपखण्ड अधिकारी द्वारा संगणित राशि मेरे द्वारा जमा की गई प्रीमियम और/या भू-राजस्व की राशि यदि कम पाई जाती है तो अंतर की राशि मेरे द्वारा जमा की जाएगी।

6. मैं यह भी जानता हूँ कि मेरे द्वारा भूमि उपयोग के प्रयोजन और व्यपवर्तित भूमि के क्षेत्रफल से संबंधित प्रस्तुत की गई सूचना के विवरण असत्य पाए जाते है तो यह मानते हुए की मैंने भूमि व्यपवर्तन की कोई पूर्व सूचना नहीं दी है, छत्तीसगढ भू राजस्व संहिता के अंतर्गत उपखण्ड अधिकारी द्वारा संगणित एवं विनिश्चित किये गये प्रीमियम तथा भू राजस्व और जुर्माना को सम्मिलित करते हुए कार्यवाही की जाएगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम......................

स्थान
दिनांक

आवश्यक संलग्नक

1. पहचान के प्रमाण के लिये दस्तावेज की प्रति
2. पता के प्रमाण के लिये दस्तावेज की प्रति
3. चालू वर्ष के खसरा की प्रति
4. व्यपवर्तन स्कैच
5. प्रीमियम और पुनर्निर्धारित भू राजस्व के भुगतान के रसीद की प्रति
6.विधिक व्यक्ति के मामले में ऐसे विधिक व्यक्ति की ओर से कार्यवाही करने के लिये सक्षम निकाय या व्यक्ति द्वारा जारी किया गया प्राधिकार पत्र

टीप- (1) पहचान के प्रमाण के लिये स्व-प्रमाणित आधार नम्बर वोटर आईडी पासपोर्ट ड्राईविंग लाइसेस,किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का पासबुकया केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारीद्वारा प्रमाणित या जारी किया गया फोटो सहित पहचान पत्र की प्रति।

(2) नगरीय स्थानीय निकाय से अभिप्रेत है केवल अनुसूची (क) में वर्गीकृत नगर पालिक निगम, नगर पालिका, नगर परिषद ।

(3) भूमि उपयोग के प्रयोजन (क) कृषिक प्रयोजनार्थ (ख) निवासार्थ आवासीय प्रयोजन (ग) शैक्षणिक प्रयोजन (घ)वाणिज्यिक प्रयोजन (ड़)औद्योगिक प्रयोजन (खान एवं खनिज सम्मिलित करते हुए)(च) पूर्त प्रयोजन (छ)अन्य प्रयोजन।

भाग-दो

पावती

प्रति,

श्री/श्रीमती कुमारी ....

पुत्र/पुत्री..

निवास स्थान..

1 भाग एक में दी गई भूमि के व्यपवर्तन की उक्त सूचना एतदद्वारा प्राप्त की है।
2 यह पावती उक्त प्रारूप एक में मद–11 में दर्शाई गई जमा राशि की रशीद के साथ भूमि के व्यपवर्तन का प्रमाण होगी।
3. पावती ने कोई भी बात तय होते ही भूमिस्वामीछत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता तथा उसके अंतर्गत बनाये गए छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहित (भू-राजस्व का निर्धारण तथा पुर्ननिर्धारण)नियम, 2025 के समस्त प्रावधानों के पालन के लिए दायित्वाधीन होगा।

सील

स्थानः ....

दिनांक............................

नाम ....

उपखंड अधिकारी ....

जिला ....

प्रारूप दो
(नियम 17 देखे)
भूमि के व्यपवर्तन की रिपोर्ट

प्रति,

उपखण्ड अधिकारी,

तहसील --- जिला --

1. यह तथ्य ध्यान में आए है कि नीचे दिये गये विवरण की भूमि मौके पर व्यपवर्तित की गई है किन्तु भूमि के भूमिस्वामी द्वारा-

(क) छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता (भू राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण)नियम, 2025 के नियम 11 के अधीन व्यपवर्तन की सूचना नहीं दी गई है;

(ख) व्यपवर्तन की दी गई सूचना सही नहीं है;

(ग) सूचना दी गई किन्तु उपखण्ड अधिकारी से नियम 13 के अधीन अपेक्षित संसूचना प्राप्त नहीं हुई है:

(घ) नियम 13 के अधीन संसूचना प्राप्त हुई है किन्तु नियम 14 को उपनियम (1) के अधीन अपेक्षित अंतर की राशि जमा नहीं की गई है.

(ड) नियम 14 के उपनियम नियम (1) के अधीन अंतर की राशि जमा की गई है या कोई राशि जमा की जाना अपेक्षित नहीं है किन्तु नियम 17 के अधीन अपेक्षित भू अभिलेखों में अद्यतनीकरण के लिये अपेक्षित आदेश नहीं हुए है।

(नीचे टीप1 देखे)

2. व्यपवर्तित भूमि, प्रीमियम तथा पुनर्निर्धारित भू राजस्व के निर्धारण नीचे दिये जा रहे है-

नगरेतर क्षेत्र में स्थित भूमियों के लिये	नगरीय क्षेत्रों में स्थित भूमियों के लिये
पटवारी हल्का क्रमांक..........	नगरीय क्षेत्र का नाम............
ग्राम का नाम................	सेक्टर क्रमांक................
तहसील........जिला............	तहसील.........जिला.......

स.क्र.	विवरण	नियम 11 अधीन भूमिस्वामियों द्वारा सूचनाओं के अनुसार (नीचे टीप 2 देखें)	स्थल पर जैसा पाया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सर्वे संख्यांक / ब्लॉक संख्यांक/प्लॉट संख्यांक (नीचे टीप 3 देखें)		
2.	कुल क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)		
3.	प्रयोजन भूमि वर्तमान में जिसके निर्धारण है (नीचे टीप देखे)		
4.	व्यपवर्तित भूमि (वर्ग मीटर मे)		
5.	प्रयोजन भूमि जिस उपयोग लिये व्यपवर्तित की जा रही है (नीचे टीप 4 देखे)		
6.	नियम 8 के उपनियम (1) एवं (2) के अनुसार प्रीमियम के लिये लागू दर		

7.	देय प्रीमियम की राशि		
8.	नियम 4 के उपनियम (1) एवं (3) के अनुसार पुनर्निर्धारित भू राजस्व के लिए लागू दर		
9.	देय पुनर्निर्धारित भू राजस्व की राशि		

3.उक्त भूमियो के भूमिस्वामी के विवरण निम्नानुसार है:-

नाम........................पिता/पति का नाम........................
पूरा...

4. क्या भूमिस्वामी द्वारा नियम 11 के अधीन व्यपवर्तन की सूचना दी गई है? हाँ/नहीं
यदि हॉ, तो नीचे के विवरण की पूर्तिया करे

स.क्र.	विवरण	
(एक)	नियम 11 के अधीन भूमिस्वामीके द्वारा दी गई सूचना की पावती का क्रमांक एवं दिनांक	....
(दो)	प्रीमियम और भू राजस्व के मद्दे जमा राशि	
(तीन)	क्या नियम 13 के अधीन उपखण्ड अधिकारियों द्वारा संसूचना जारी की गई है ? यदि हाँ, तो उसकी क्रमांक तथा दिनांक दें।	हां/नहीं ....
(चार)	नियम 14 के उपनियम (1) के अधीन भूमिस्वामी द्वारा जमा किये जाने के लिये अपेक्षित अंतर की राशि यदि कोई है (क) प्रीमियम (ख) भू राजस्व (ग) कुल योग	
(पाँच)	क्या भूमिस्वामी द्वारा उक्त मंद (चार) में दर्शाई गई राशि जमा की जा चुकी है? यदि हॉ, कृपया भुगतान की रसीद के क्रमांक एवं दिनांक दें।	हां/नहीं ....
(छह)	नियम 17 के अधीन भू अभिलेख अद्यतन करने के आदेश दिये जा चुके है?	हां/नहीं

स्थान...............................
दिनांक.............................

पटवारी/नगर सर्वेक्षक के हस्ताक्षर.................
नाम...................................
पटवारी हल्का / सेक्टर क्रमांक..................
तहसील...........जिला..................

संलग्नः
(1) खसरा की प्रति
(2) व्यपवर्तन स्कैच

टीपः-

1. कृपया विकल्प (क) से (ड़) में से एक, जो लागू हो, चिन्हित करें।
2. नियम 11 के अधीन भूमिस्वामी द्वारा लिखित सूचना के अनुसार कॉलम (3) भरा जाएगा, यदि कोई हो।
3. अत्यधिक सर्वे संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक/भू खण्ड संख्यांक होने की दशा में पृथक पत्रक संलग्न करें।
4. नीचे दी गई सूची में से प्रयोजन चुने-
(क) कृषि प्रयोजन
(ख) निवासार्थ गृह के लिये प्रयोजन
(ग) शैक्षणिक प्रयोजन
(घ) वाणिज्यिक प्रयोजन
(ड़) औद्योगिक प्रयोजन (खान एवं खनिज को सम्मिलित करते हुए)
(च) पूर्त प्रयोजन
(छ) अन्य प्रयोजन

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लोकेश कुमार चन्द्राकर, उप–सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 11 नवम्बर 2025

क्रमांक 11–3/2023/सात–1.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 11–3/2023/सात–1 दिनांक 11–10–2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लोकेश कुमार चन्द्राकर, उप–सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 11th November 2025

NOTICE

F 11-3/2023/VI-1.— In exercise of the powers conferred by Sections 59 and 60, read with clauses (3) and (4) of sub-section (2) of Section 258 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), and in supersession of all rules previously made on the subject, the State Government proposes to make the following rules. As required by sub-section (3) of Section 258 of the said Code, it is hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said notice in the said format may be sent to the concerned officer/official/private ... The draft will be considered after the expiry of 15 days from the date of publication in the Official Gazette.

Any objection or suggestion received from any person regarding the said draft within the specified period, during office hours, in the office of the Secretary, Government of Chhattisgarh, Revenue and Disaster Management Department, Mantralaya, Room No. M-1-23, Mahanadi Bhawan, Nava Raipur Atal Nagar, District Raipur, will be considered by the Government of Chhattisgarh.

Draft Rules

Part A

General

1. Short title and commencement.-

(1) These rules may be called the Chhattisgarh Land Revenue Code (Fixation and Re-Fixation of Land Revenue) Rules, 2025.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Official Gazette of Chhattisgarh.

2. Definitions (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Code" means the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959);

(b) "Draft" means the means the Forms appended to these rules:

(c) "Schedule" means the Schedules appended to these rules:

(d) "Section" means the Section of the Code.

(2) Words and expressions used in these rules but not defined shall have the meanings assigned to them in the Code.

Part B

Assessment and Reassessment

3. (1) Land revenue shall be assessed at the rates specified in Schedule I.

(2) Land revenue in respect of which assessment has been made before the commencement of these rules shall be automatically assessed at the rates specified in Schedule I from the beginning of the next revenue year.

(3) In respect of lands assessed for the first time in accordance with Rule 5, the assessment shall take effect from the date of assessment.

(4) In respect of lands reassessed on account of diversion in accordance with Part C of these rules, the reassessment shall take effect from the date of diversion.

(5) The State Government shall notify every year in Schedule I the rates of assessment of land revenue permissible for the next revenue year.

Provided that if no notification is issued under this sub-rule, the rates in force for the time being shall continue to apply for the next revenue year.

(6) Whenever the rates specified in Schedule I are changed, the land revenue of lands which have been determined before such change shall automatically be re-determined at such changed rates from the next revenue year.

Explanation:- (1) Notwithstanding anything contained in this rule, no land revenue shall be payable in respect of all such lands which are exempted from land revenue under section 245 of the Chhattisgarh Land Revenue Code or exempted by notification of the State Government under section 58 or 58A of the Code.

(2) Any improvement in respect of an account as defined in clause (j) of sub-section (1) of section 2 of the Code shall be prescribed for agricultural purposes under clause (a) of sub-section (1) of section 59.

4. Upon the commencement of these rules and whenever the rates for assessment of land revenue are changed under sub-rule (2) of Rule 3,-

(a) The Commissioner of Land Records, being under the control of the State Government, shall control the operations for updating land records other than the State Record of Rights;

(b) The Collector, being under the jurisdiction of the Commissioner of Land Records, shall control the operations for updating land records other than the Record of Rights in the district; and

(c) The Tehsildar, being under the jurisdiction of the Collector, shall control the operations for updating land records other than the Record of Rights in the tehsil.

5. Lands which have not been assessed and are occupied or proposed to be given for any purpose. As per Rule 3, assessment under Section 60 shall be made by the District Survey Officer during the land survey or by the Collector at any other time, as the case may be.

6. In any town or village in the State of Chhattisgarh, when agricultural land, other than that specified in the proviso to sub-section (5) of Section 59 of the Code, is diverted for non-agricultural purposes, the rate of annual land rent/land revenue assessment shall be imposed as per Schedule 2.

Part C

Diversion of Land Use

7. Nothing contained in Rules 8 to 19 shall apply to land exempt from payment of premium and land revenue under Section 245 of the Code or ratified by the State Government under Section 58 or 58-A of the Chhattisgarh Land Revenue Code, except when such land is diverted for any other purpose.

8. (1) Whenever any land earmarked for any of the purposes specified in sub-section (1) of Section 59 is diverted for any other purpose, premium shall be payable at the rates specified in Schedule 1.

(2) The State Government shall notify every year in Schedule I the rates of premium applicable for the following revenue year:

Provided that if no notification is issued under this sub-rule, the rates for the time being in force shall continue to apply for the following revenue year.

(3) The land revenue on the diverted land shall be reassessed in accordance with Rule 3.

9. (1) When any portion of a survey number is diverted for a purpose other than agricultural, and if the remaining portion of such survey number is one hundred square meters or less, the entire survey number shall be deemed to have been diverted and premium and land revenue shall be assessed on the entire area of the survey number.

(2) When any land is diverted for a purpose other than agricultural, all lands adjoining such diverted land being used for ancillary purposes shall be deemed to have been diverted for such other purpose and shall be liable to premium and land revenue accordingly.

Explanation: For the purposes of this rule, "ancillary purpose" in relation to diversion means the use of land for roads, parks, playgrounds, parking, other community purposes, etc. 10. (1) A Bhumiswami who wishes to divert his land or part thereof from one of the purposes specified in sub-section (1) of section 59 to any other purpose shall first satisfy himself that the use of the land for which he wishes to divert his land or part thereof is in accordance with the provisions of the relevant laws for the time being in force.

(2) Nothing in these rules shall be construed as permitting change in the use of land—

(a) if the use of such land is contrary to the provisions of the law for the time being in force; or

(b) is in contravention of sub-section (7-b) of section 165 of the Code.

11. (1) If a Bhumiswami wishes to divert his land or part thereof, he shall—

(a) calculate and self-assess the premium, if any, payable in accordance with rule 8; and

(b) calculate and self-assess the land revenue in accordance with rule 3.

(2) The Bhumiswami shall deposit the premium and the amount of re-assessed land revenue for one year in such manner as may be directed by the State Government.

12. Any Bhumiswami who diverts his land or part thereof shall give notice of such diversion to the Sub-Divisional Officer in Form-1, enclosing a copy of the receipt for the premium paid and the re-assessed land revenue. The Bhumiswami shall acknowledge the notice in the manner directed by the State Government.

13. The Bhumiswami shall have a diversion sketch prepared in accordance with the instructions issued from time to time by the Commissioner of Land Records and submit it to the Sub-Divisional Officer along with the notice of diversion.

14. (1) On receipt of a notice of diversion under Rule 12, the Sub-Divisional Officer shall, within 15 working days, verify the correctness of the calculation made by the Bhumiswami and shall either communicate to the Bhumiswami a confirmation of such calculation or inform him of the correct amount of premium and land revenue payable to him in the manner directed by the State Government.

(2) Land records, other than the Record of Rights, shall be updated after 15 working days from the date of confirmation of the calculation of premium and re-determined land revenue by the Sub-Divisional Officer under sub-rule (1) or from the date of intimation given by the Bhumiswami under Rule 12, whichever is earlier:

Provided that if the Sub-Divisional Officer gives notice to the Bhumiswami to deposit the difference, if any, such land records shall be updated only after such amount is deposited.

15. (1) If the amount deposited under Rule 11 is less than the amount calculated by the Sub-Divisional Officer, the difference shall be deposited by the Bhumiswami within sixty days from the receipt of the intimation under Rule 14.

(2) In cases where the amount deposited under Rule 11 is more than the amount calculated by the Sub-Divisional Officer, the difference shall be refunded to the Bhumiswami within sixty days in the manner directed by the State Government. 16. If a landowner does not deposit the amount within a period of sixty days from the date of receipt of the communication under Rule 14, simple interest shall be payable on the outstanding amount at the rate of twelve per cent per annum for the first twelve months and thereafter at the rate of fifteen per cent per annum till the date of payment.

17. (1) The Patwari or the Town Surveyor shall, once a year, inspect all the survey numbers and plot numbers within his jurisdiction and report every case of diversion of land for which the landowner has not given notice of diversion or has given false information under Rule 12, in Form-2 to the Sub-Divisional Officer.

(2) The Sub-Divisional Officer shall, on his own motion or on receipt of a report, take action under sub-section (2) of section 59 and after making such inquiry as he may deem fit, decide the premium and re-assessed land revenue, interest payable and penalty payable and send a demand notice to the Bhumiswami for depositing the amount due and get the diversion sketch prepared.

(3) Land records, other than the Records of Rights, shall be updated only after the amount payable under sub-rule (2) has been deposited.

18. (1) No appeal shall lie against an order passed by the Sub-Divisional Officer under these rules unless the landowner deposits a sum equal to fifty percent of the amount payable under such order.

(2) The Appellate Officer may, in the interest of justice, waive the requirements of sub-rule (1).

(3) If the amount payable in appeal is found to be less than the amount deposited under sub-rule (1), the difference shall be refunded.

19. When any land is diverted and developed in accordance with the provisions of any Act or rule for the time being in force and an area reserved for community use, such as roads, parks, etc., is transferred to a local body, the State Government may, by notification, exempt the land revenue assessed for such area under Section 58A of the Code.

20. (1) If land is diverted for more than one purpose and the area for such purposes is demarcated in the diversion sketch, the rates of premium and assessment shall be applicable for such respective area as per such purposes.

(2) If land is diverted for more than one purpose and the area for such purposes cannot be demarcated in the diversion sketch, the highest rates of premium and assessment applicable for each of such purposes shall be applicable for the entire diverted area.

Schedule 1
(See Rule 8)
Rates for premium payable on alienation of land

Square	residential purpose	Residential Unit/Colony Project	commercial or industrial purposes	Public/ institutional purpose	Special Economic Zone	medical facilities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
square one						
1. Municipal Corporation and Municipal Areas	Rs. 15.00 per square meter	Rs. 20.00 per square meter	Rs. 25.00 per square meter	Rs. 20.00 per square meter	Rs. 20.00 per square meter	Rs. 15.00 per square meter

2. Within 5 km of the outer boundary of the Municipal Corporation and Municipal area	Rs. 10.00 per square meter	Rs. 15.00 per square meter	Rs. 20.00 per square meter	Rs. 15.00 per square meter	Rs. 15.00 per square meter	Rs. 10.00 per square meter
Category-2						
1. The entire area of the Nagar Panchayat	Rs. 05.00 per square meter	Rs. 07.50 per square meter	Rs. 10.00 per square meter	Rs. 07.50 per square meter	Rs. 10.00 per square meter	Rs. 07.50 per square meter
2. Area of 02 km from the outer limits of the Nagar Panchayat	Rs. 04.00 per square meter	Rs. 15.00 per square meter	Rs. 07.50 per square meter	Rs. 05.00 per square meter	Rs. 07.50 per square meter	Rs. 05.00 per square meter
Category-3						
countryside	Rs. 03.00 per square meter	Rs. 04.00 per square meter	Rs. 05.00 per square meter	Rs. 04.00 per square meter	Rs. 05.00 per square meter	Rs. 04.00 per square meter

Schedule 2
(See Rule 6)
Rates for determining annual land rent payable for the diversion of land

S.No	Purpose	Fixed rate of annual land rent
(1)	(2)	(3)
(1)	Dwelling unit/residential colony/housing project/public purpose/institutional purpose/charitable purpose.	0.30 percent of the prevailing guideline price.
(2)	Commercial/Medical Purposes Facility Centre.	0.60 percent of the prevailing guideline prices.
(3)	Industrial/Commercial/Mining purposes.	0.60 percent of the prevailing guideline price.

Format - One
(See Rule 12)
Information about diversion and self-determination of land use by the landowner

reference numbers ....
Per,
Sub Divisional Officer ,
Tehsil...............................District...............................

Subject:- Information about diversion and self-determination of premium and land revenue.

part One

Serial Number	Description	Details
(1)	(2)	(3)
1.	Name of the applicant	
2.	Father's/Husband's/Guardian's Name	
3.	(One) Address... (Two) Telephone Number (if any) (A) Landline (Work) (B) Landline (Voice) (C) Mobile Number (Three) Email ID (if any) (Four) Documents for Proof of Identity (Five) Documents for Proof of Address	(a) (b) (c) (d) (e)
4.	If the applicant is not a landowner: (i) Relationship of the landowner to the applicant (ii) Details of authorization (a) Authorization letter/power of attorney from the landowner (b) In the case of a legal entity, authorization/authorization letter along with authorization/power of attorney from the competent authority	(a).. (b)..
5.	In the case of land held in a joint account, if all the landowners do not submit the information jointly: (i) An authorization letter signed by all the landowners authorizing the applicant landowner to the Sub-Divisional Officer (ii) If the diversion is done by only some of the partner landowners, a declaration regarding the shares of the partner landowners in the land diverted.	(a).. (b)..
6.	Name of landowner	
7.	(i) Name of father/husband/guardian (if the landowner is a single individual) (ii) Registration No./PAN No. in case of a legal person.	(a).. (b)..

8	(One) Address... (Two) Telephone Number (if any) (A) Landline (Work) (B) Landline (Voice) (C) Mobile Number (Three) Email ID (if any) (Four) Documents for Proof of Identity (Five) Documents for Proof of Address	(a) (b) (c) (d) (e)
9	Land Details (1) District (2) Tehsil (3) Village/Urban Body (4) Patwari Halka No./Sector No.	(a) (b) (c) (d)

survey number number	Current situation		status of the diverted		Amount deposited for diverted land (in Rs.)				
	purpose of pre-diversion	Area (in square metres)	diverted purpose	Area (in square metres)	Premium per sq. meter (in Rs.)	Total Premium (Rs.) (5x6)	Land Revenue Per Square Meter/ Yard	Total Land Revenue (in rupees) (5 x 8)	Total (7 x 10)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Total						

10	Total amount to be deposited (in words)	
11	Details of the payment made (1) Challan identification number (2) Payee name (3) Date of payment (4) Head of payment under which the deposit was made (5) Total amount deposited (in figures and words)	 (a) (b) (c) (d) (e)
12	Diversion sketch of the diverted land on a fixed scale, showing the different purposes separately in case of diversion	presented/not presented

signature of the applicant

Name........................

Date........................

Place........................

Declaration

1. I, the self-sovereign, hereby declare that the particulars given in the notice given by me are true and correct to the best of my knowledge.

2. I am satisfied that the land use for which I have diverted the land is in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Land Revenue Code (Assessment and Re-Assessment of Land Revenue) Rules, 2025.

3. I further declare that the notice of land diversion is not in violation of any law for the time being in force governing land use or sub-section (7&B) of Section 165 of the Chhattisgarh Land Revenue Code.

4. I have calculated and deposited the premium and land revenue in accordance with Schedule 1 of the said Rules and understand that this amount will not be refunded except under the circumstances specified in the Chhattisgarh Land Revenue Code.

5. I also accept that if the amount calculated by the Sub-Divisional Officer as per the Chhattisgarh Land Revenue Code is found to be less than the amount of premium and/or land revenue deposited by me, then the difference amount will be deposited by me.

6. I also understand that if the details submitted by me regarding the purpose of land use and the area of the land diverted are found to be false, then action will be taken against me including the premium, land revenue and penalty calculated and decided by the Sub-Divisional Officer under the Chhattisgarh Land Revenue Code, assuming that I have not given any prior notice of land diversion.

Applicant's Signature
Name......................

Place…………….
Date……………..

Required Enclosures
1. Copy of document for proof of identity
2. Copy of document for proof of address
3. Copy of current year's Khasra
4. Excavation Scratch
5. Copy of receipt for payment of premium and reassessed land revenue
6. In case of a legal person, authorization letter issued by the competent body or person to act on behalf of such legal person

---

Note: (1) Self-attested Aadhaar number, Voter ID, Passport, Driving License, Passbook of a nationalized bank or a copy of a photo identity card certified or issued by a gazetted officer of the Central Government or State Government will be used for proof of identity.
(2) "Urban Local Body" means only a Municipal Corporation, Municipality, Municipal Council, and Municipal Council classified in Schedule (A).
(3) Purposes of land use (a) Agricultural purposes (b) Residential residential purposes (c) Educational purposes (d) Commercial purposes (e) Industrial purposes (including mines and minerals) (f) Charitable purposes (g) Other purposes

Part-Two
Acknowledgement
Copy]

Mr./Mrs. Kumari ---
Son/Daughter--
Residence--

1. The above information regarding the alienation of the land given in Part One is hereby received.
2. This acknowledgement, along with the receipt for the deposit shown in Item 11 of Form One, shall be proof of the alienation of the land.
3. Notwithstanding anything contained in the acknowledgement, the landowner shall be responsible for complying with all the provisions of the Chhattisgarh Land Revenue Code and the Chhattisgarh Land Revenue Code (Assessment and Re-Assessment of Land Revenue) Rules, 2025, made thereunder.

Seal

Place:…………..
Date…………….

Name ---------------------------
Sub-Divisional Officer -------
District --------------------------

Form Two
(See Rule 17)
Report of Land Diversion

To,

Sub-Divisional Officer,

Tehsil -- District ---------------------------------

1. It has come to notice that the land described below has been diverted on the spot, but the landowner has not—

(a) given notice of diversion under Rule 11 of the Chhattisgarh Land Revenue Code (Assessment and Re-Assessment of Land Revenue) Rules, 2025;

(b) given notice of diversion is incorrect;

(c) given notice but has not received the required communication from the Sub-Divisional Officer under Rule 13;

(d) received the communication under Rule 13, but has not deposited the difference amount required under sub-rule (1) of Rule 14.

(d) The difference amount has been deposited under sub-rule (1) of Rule 14 or no amount is required to be deposited but the required order for updating the land records as required under Rule 17 has not been passed.

(See Note 1 below)

2. The assessments of diverted land, premium and reassessed land revenue are given below:-

For lands located in non-urban areas Patwari Halka Number.......... Village Name................ Tehsil........District.............	For lands located in urban areas Name of urban area... Sector number... Tehsil... District...

S.No.	Description	As per notices by landowners under Rule 11 (see Note 2 below)	As found on site
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Survey Number / Block Number / Plot Number (See Note 3 below)		
2.	Total area (in sq. m)		
3.	The purpose for which the land is currently being assessed (see note below)		
4.	Diverted land (in sq. mtrs.)		
5.	Purpose for which the land is being diverted (see note 4 below)		
6.	The applicable rates of premium as per sub-rules (1) and (2) of rule 8		

7.	Amount of premium payable		
8.	Rates applicable for reassessed land revenue as per sub-rules (1) and (3) of rule 4		
9.	Amount of re-assessed land revenue payable		

3. The details of the land owners of the said lands are as follows:-

Name........................Father's/Husband's Name........................ Full...

4. Has the landowner given notice of diversion under Rule 11? Yes/No

If yes, please complete the details below

S.No.	Description	
(One)	Number and date of receipt of notice given by the landowner under Rule 11	....
(Two)	premium and land revenue deposits	
(Three)	Has a communication been issued by the Sub-Divisional Officer under Rule 13? If yes, give its number and date.	Yes/No ....
(Four)	The difference, if any, required to be deposited by the landowner under sub-rule (1) of Rule 14. (a) Premium (b) Land Revenue (c) Grand Total	
(five)	Has the landowner deposited the amount shown in item (four) above? If yes, please provide the number and date of the receipt of payment.	Yes/No ....
(Six)	Have orders been given to update land records under Rule 17?	Yes/No

Signature of Patwari/City Surveyor.................
Name..................................
Patwari Halka/Sector Number.........................
Tehsil..........District...

Place............................

Date............................

Enclosed:
(1) Copy of Khasra
(2) Deviation Sketch

Note:-
1. Please mark one of the options (a) to (d) [whichever is applicable].
2. Column (3) will be filled in according to the written notice by the landowner under Rule 11, if any.
3. In case of multiple survey numbers/block numbers/plot plot numbers, attach a separate sheet.
4. Select the purpose from the list below:
(a) Agricultural Purpose
(b) Residential Purpose
(c) Educational Purpose
(d) Commercial Purpose
(e) Industrial Purpose (including mines and minerals)
(f) Charitable Purpose
(g) Other Purpose

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
LOKESH KUMAR CHANDRAKER, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2025.